अध्याय6
ई–वे नियम

[1][नियम 138 : माल का संचलन और ई–वे बिल के सृजन से पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रिकृत व्यक्ति, जो माल के पारेषण, जिसका मूल्य पचास हजार रूपए से अधिक है, का–

(i) किसी पूर्ति के संबंध में संचलन कारित करता है; या

(ii) पूर्ति से भिन्न किसी कारण से संचलन कारित करता है; या

(iii) किसी गैर–रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति के कारण संचलन कारित करता है,

ऐसे संचलन के प्रारंभ होने से पूर्व उक्त माल के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप जीएसटी ईडब्यूबी–01** के **भाग क** में यथाविनिर्दिष्ट सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित की जाने वाली ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट सं. सृजित की जाएगी।

परन्तु परिवाहक, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त प्राधिकार पर, ऐसी अन्य जानकारी, जैसा सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित हो, के साथ–साथ सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रोनिक रूप से **प्ररूप जीएसटी ईडब्लूबी–01** के **भाग क** में जानकारी देगा और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट सं. सृजित की जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां मालों का परिवहन किसी ई–वाणिज्य ऑपरेटर या कोरियर एजेंसी के माध्यम से किया जाता है या आपूर्ति किया जाता है वहां आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त प्राधिकार पर ऐसे ई–वाणिज्य ऑपरेटर या कोरियर एजेंसी द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्लूबी–01** के **भाग क** में जानकारी दी जाएगी और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट सं. सृजित की जाएगी :

परन्तु यह भी कि जहां माल एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित स्वामी से अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित कार्य कर्मकार को भेजा जाता है, वहां ई–वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना स्वामी या रजिस्ट्रीकृत हो तो, जो कर्मकार द्वारा सृजित की जाएगी।

परन्तु यह भी कि जहां हस्तशिल्प माल एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति जो धारा 24 के खंड (i) और (ii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्राप्त है, द्वारा परिवहन किया जाता है तो

---

[1] अधिसूचना क्रमांक 12/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 07.03.2018 द्वारा नियम 138 प्रतिस्थापित।

अधिसूचना क्रमांक 15/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा सिवाय नियम 138 (7) के सभी नियम दिनांक 01.04.2018 से प्रभावशील किये गये है।

पहले ये नियम निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये

1. अधिसूचना क्रमांक 27/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 30.08.2017।
2. अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर दिनांक 23.01.2018।

ई–वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना ऐसे व्यक्ति द्वारा सृजित किया जाएगा।

[2][**स्पष्टीकरण 1.**–इस नियम के प्रयोजनों के लिए, ''हस्तशिल्प माल'' का वही अर्थ है जो इसका समय–समय पर यथासंशोधित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1056 (अ) तारीख, 23 अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 56/2018–केन्द्रीय कर, तारीख 23 अक्टूबर, 2018 में है।]

स्पष्टीकरण 2.–इस नियम के प्रयोजन के लिये माल का पारेषण मूल्य वह मूल्य होगा जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसरण में अवधारित किया गया है, बीजक, उक्त पारेषण के संबंध में जारी किये गये यथास्थिति, आपूर्ति के बिल या परिदान चालान में घोषित् किया गया है और इसके अंतर्गत केन्द्रीय कर या संघ राज्य–क्षेत्र कर अथवा दस्तावेजों में भारित किया गया सैस, यदि कोई हो, भी है और इसमें छूट प्राप्त माल का मूल्य अपवर्जित है, जहां बीजक दोनों आपूर्तियों, छूट प्राप्त तथा कर देय आपूर्ति हेतु जारी किया गया है।

(2) जहां सड़क द्वारा माल का परिवहन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति परेषित के रूप में या परेषिती के रूप में पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में चाहे स्वयं के परिवहन में या भाटक या सार्वजनिक वाहन पर किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग ख** में सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** में ई–वे बिल का सृजन कर सकेगा।

(2क) जहां मालों का परिवहन रेल द्वारा या वायुयान द्वारा या जलयान द्वारा किया जाता है वहां ई–वे बिल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सृजित की जाएगी, पूर्तिकर्ता या प्राप्तिकर्ता या तो मालों के संचलन के प्रारंभ से पहले या बाद में सामान्य पोर्टल पर **जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग ख** में जानकारी देगा :

परन्तु जहां मालों का परिवहन रेल द्वारा किया जाता है वहां रेल तब तक मालों की पूर्ति नहीं करेगा जब तक कि वह इन नियमों के अधीन अपेक्षित ई–वे बिल पूर्ति करते समय प्रस्तुत नहीं करता।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन ई–वे बिल सृजित नहीं किया जाता है और माल को सड़क द्वारा परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को सौंप दिया जाता है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति परिवहनकर्ता के संबंध में सामान्य पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करेगा और ई–वे बिल को उक्त

---

[2] अधिसूचना क्रमांक 74/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा स्पष्टीकरण 1 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)। प्रतिस्थापन के पूर्व स्पष्टीकरण 1 इस प्रकार था :

''**स्पष्टीकरण 1.–** इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ''हस्तशिल्प माल'' से वह अर्थ होगा जो इसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1158(अ) द्वारा प्रकाशित, समय–समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना सं. 32/2017–केन्द्रीय कर, तारीख 15.09.2017 में दिया गया है।''

पोर्टल पर परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग क** में प्रस्तुत सूचना के आधार पर सृजित किया जाएगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या परिवहनकर्ता अपने विकल्प पर ई–बिल का तब भी सृजन और वहन कर सकेगा जब पारेषण का मूल्य पचास हजार रूपए से कम है :

परन्तु यह और कि जब संचलन किसी गैर–रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या तो अपने स्वयं के या किसी भाटक पर वाहन या किसी परिवहनकर्ता के माध्यम से कारित किया जाता है तो वह या परिवहनकर्ता अपने स्वयं के विकल्प पर इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति में सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी–01 में ई–बिल का सृजन कर सकेगा :

परन्तु यह भी कि जहां माल का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पारेषक के कारबार के स्थान से, परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान तक आगे परिवहन के लिए , पचास किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है तो पूर्तिकार या प्राप्तिकर्ता या यथास्थिति परिवहनकर्ता **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग ख** में वाहन के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करेंगे।

[3]**[परंतु** उपनियम (1) के चौथे परंतुक के अर्थातंगर्त अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिससे **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** में ई–वे बीजक सृजित करना अपेक्षित है या सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** में ई–वे बीजक सृजित करने की अपेक्षा का विकल्प लेने वाला अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी ईएनआर–03** में या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में ब्यौरो प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्रस्तुत किए गए ब्यौरों के विधिमान्यकरण पर एक विशिष्ट नामांकन संख्या सृजित की जाएगी और उक्त व्यक्ति को संसूचित की जाएगी।**]**

स्पष्टीकरण 1.–इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए जब माल की पूर्ति किसी गैर–रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को की जाती है जो रजिस्ट्रीकृत है तो संचलन को ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा कारित किया गया कहा जाएगा यदि माल का संचलन प्रारंभ होने के समय प्राप्तिकर्ता ज्ञात है।

स्पष्टीकरण 2.–ई–वेल बिल, सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** बिल के **भाग ख** में सूचना नहीं दी जाती है, सिवाय उस दशा में जब परिवहन उपनियम (3) के तीसरे परन्तुक और उपनियम (5) के परन्तुक के अंतर्गत आता है।

(4) सामान्य पोर्टल पर ई–वे बिल के सृजन पर सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार, प्राप्तिकर्ता, परिवहनकर्ता को एक विशिष्ट ई–वे बिल संख्या (ईबीएन) उपलब्ध कराया जाएगा।

---

[3] अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा चौथा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 11.02.2025)।

(5) जब माल एक वाहन से दूसरे वाहन पर अंतरित किया जाता है तो पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता जिसने **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–1** के **भाग क** में सूचना प्रदान की है या परिवहनकर्ता, ऐसे अंतरण और माल के परिवहन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग ख** के वाहन के ब्यौरें ई–वे बिल में अद्यतन करेगा :

परन्तु जहां मालों का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से अंतिमतः पारेषिती के कारबार के स्थान से पचास किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है, तो वाहन के ब्यौरों को ई–वे बिल में अद्यतन नहीं किया जा सकेगा।

(5क) पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता जिसने **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–1** के **भाग क** में वाहन के ब्यौरे की सूचना दी है या परिवहनकर्ता पारेषण के आगे परिवहन के लिए **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–1** के **भाग ख** में सूचना अद्यतन करने के लिए अन्य रजिस्ट्रीकृत या नामांकित परिवहनकर्ता को ईडब्ल्यू बी–01 बिल सं. समनुदेशित कर सकेगा :

परन्तु परिवहनकर्ता द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग ख** में अद्यतन करने के पश्चात्, यथास्थिति, पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता, जिसने **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग क** में सूचना दी है, को किसी अन्य व्यक्ति को ई–वे बिल संख्या समनुदेशित करने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(6) उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में ई–वे बिल के सृजन के पश्चात्, जहां बहुल पारेषणों को एक वाहन में परिवहन करना आशयित है तो परिवहनकर्ता ऐसे प्रत्येक पारेषण के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से सृजित ई–वे बिलों की क्रम संख्या को उपदर्शित कर सकेगा और माल के संचलन से पूर्व उक्त सामान्य पोर्टल पर उसके द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–02** में एक समेकित ई–वे बिल का सृजन किया जा सकेगा।

(7) जहां पारेषक या पारेषिती ने ई–वे बिल का सृजन **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** में नहीं किया है और वाहन में ले जाने वाले माल के पारेषण का कुल योग मूल्य पचास हजार रूपए से अधिक है तो परिवाहक, यथास्थिति, पूर्ति के बीजक या प्रदाय का बिल या परिदान चालान के आधार पर ई–वे बिल का सृजन **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** में अंतरराज्य पूर्ति की बाबत्, माल का पारेषण रेल, वायुयान और जलयान के सिवाय, सृजन करेगा और माल के संचलन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–02** में समेकित ई–वे बिल का भी सृजन कर सकेगा :

परन्तु जहां माल जिनका परिवहन किया जाना है उसकी ई–वाणिज्य परिचालक के माध्यम से आपूर्ति की जाती है वहां ऐसे ई–वाणिज्य परिचालक या कोरियर एजेंसी द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग क** में सूचना दी जा सकेगी।

(8) **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग क** में प्रस्तुत सूचना को सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा जो उसका उपयोग **प्ररूप जीएसटीआर–01** में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कर सकेगा :

परन्तु जहां सूचना गैर–रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार या गैर–रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** में प्रस्तुत की गयी है तो उसे इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा, यदि मोबाईल नंबर या ई–मेल उपलब्ध है।

(9) जहां इस नियम के अधीन ई–वे बिल सृजित किया गया है किन्तु माल का या तो परिवहन नहीं किया गया है या परिवहन प्रस्तुत ई–वे बिल के ब्यौरों के अनुसार नहीं किया गया है तो ई–वे बिल को सामान्य पोर्टल पर ई–वे बिल के सृजन के चौबीस घंटे के भीतर रद्द किया जा सकेगा :

परन्तु किसी ई–वे बिल को रद्द नहीं किया जा सकेगा यदि उसका नियम 138ख के उपबंधों के अनुसार अंतरण में सत्यापन कर दिया गया है।

परन्तु यह और कि उपनियम (1) के अधीन उत्पन्न विशिष्ट संख्या **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग ख** के अद्यतन हेतु पंद्रह दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(10) इस नियम के अधीन सृजित ई–वे बिल या समेकित ई–वे बिल सुसंगत तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अवधि के लिए स्तंभ (2) में यथावर्णित माल का परिवहन की जाने वाली, देश के भीतर दूरी, के लिए विधिमान्य होगा :

सारणी

सं.	दूरी	वैधता की अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	[4][200 कि.मी.] तक	एक दिन सिवाय अधिक विमीय कार्गों के [5][या मल्टीमोडल वहन जिसमें कम से कम एक बार पोत द्वारा परिवहन सम्मिलित हो]
2.	प्रत्येक [6][200 किमी.] या तत्पश्चात् उसके भाग के लिए	एक अतिरिक्त दिन सिवाय अधिक विमीय कार्गों के [7][या मल्टीमोडल वहन जिसमें कम से कम एक बार पोत द्वारा परिवहन सम्मिलित हो]

---

4 अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा ''100 किलोमीटर'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)।

5 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

6 अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा ''100 किलोमीटर'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)।

7 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

3.	20 किलोमीटर तक	अधिक विमीय कार्गों की दशा में एक दिन [8][या मल्टीमोडल वहन जिसमें कम से कम एक बार पोत द्वारा परिवहन सम्मिलित हो]
4.	प्रत्येक 20 किलोमीटर या तत्पश्चात् उसके भाग	अधिक विमीय कार्गों की दशा में एक अतिरिक्त दिन [9][या मल्टीमोडल वहन जिसमें कम से कम एक बार पोत द्वारा परिवहन सम्मिलित हो]

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, किसी ई–वे बिल की विधिमान्यता की अवधि का उसमें विनिर्दिष्ट माल के कतिपय प्रवर्गों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाए, के लिए विस्तार कर सकेगा :

परन्तु यह और कि आपवादिक प्रकृति जिसके अंतर्गत पोतांतरण भी है की परिस्थितियों के अधीन, जहां माल का परिवहन ई–वे बिल की विधिमान्य अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, तो परिवाहक यदि अपेक्षित हो तो **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग ख** में ब्यौरों को अद्यतन करने के पश्चात् विधिमान्य अवधि को बढ़ा सकेगा।

[10]**[परन्तु यह और भी** कि ई–वे बिल की वैद्यता इसके अवसान के समय से आठ घंटे के भीतर विस्तारित की जा सकेगी।**]**

स्पष्टीकरण 1.–इस नियम के प्रयोजनों के लिए ''सुसंगत तारीख'' से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको ई–वे बिल का सृजन किया गया है और विधिमान्य की अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जिसको ई–वे बिल का सृजन किया गया है और प्रत्येक दिन की गणना ई–वे बिल के सृजन की तारीख से ठीक पश्चात्वर्ती दिन के मध्यरात्री को समाप्त होने वाली अवधि के रूप में की जाएगी।

स्पष्टीकरण 2.–इस नियम के प्रयोजन के लिए ''ओवर डायमेंशन कार्गों'' पद से ऐसा कोई कार्गों अभिप्रेत है जिसका एकल अविभाजीय यूनिट के रूप में प्रवहन किया जा रहा है और जिसकी डायमेंशन सीमाएं मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 के 59) के अधीन बनाए गए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 93 में विहित डायमेंशन सीमाओं से अधिक है।

(11) इस नियम के अधीन सृजित ई–वे बिल के ब्यौरों को सामान्य पोर्टल पर निम्नलिखित को उपलब्ध कराया जाएगा–

(क) पूर्तिकार को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां प्राप्तिकर्ता या परिवाहक द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग क** में जानकारी दी गई है; या

---

[8] अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

[9] अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

[10] अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

(ख) प्राप्तिकर्ता को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां पूर्तिकार या परिवाहक द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01** के **भाग क** में जानकारी दी गई है,

और पूर्तिकार या प्राप्तिकर्ता, यथास्थिति, वह अपनी ई–वे बिल के अधीन आने वाले पारेषण की स्वीकृति या अस्वीकृति की संसूचना देगा।

(12) जहां उपनियम (11) में निर्दिष्ट जानकारी सामान्य पोर्टल पर ब्यौरों को उसे उपलब्ध कराने के बहत्तर घंटे के भीतर या माल के परिदान के समय, इसमें से जो भी पूर्वतर हो अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति से संसूचित नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त ब्यौरों को स्वीकार कर लिया है।

(13) इस नियम या किसी राज्य संघ राज्यक्षेत्र के माल और सेवाकर नियमों के नियम 138 के अधीन सृजित ई–वे बिल प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में वैध होगा।

(14) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ई–वे बिल को सृजित करने की अपेक्षा नहीं होगी–

(क) जहां परिवहन किए जा रहे माल को उपाबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ख) जहां माल का परिवहन गैर–मोटरीकृत वाहन द्वारा किया जा रहा है;

(ग) जहां माल का परिवहन किसी पत्तन, विमानपत्तन, एयर कार्गो परिसर और भू–सीमा–शुल्क केन्द्र से किसी ईन–लैंड कंटेनर डिपो या किसी कंटेनर फ्रेट स्टेशन को सीमा–शुल्क द्वारा अनापत्ति के लिए किया जा रहा है;

(घ) माल का संचलन ऐसे क्षेत्र में किया जा रहा है, जो संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के माल और सेवाकर नियमों के नियम 138 के उपनियम (14) के खंड (घ) के अधीन अधिसूचित है;

(ङ.) जहां डी–ऑयल्ड केक से भिन्न परिवहन किया गया माल भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 674(अ) द्वारा प्रकाशित, समय–समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक 2/2017–केन्द्रीय कर (दर) तारीख 28 जून, 2017 से उपाब) अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

(च) जहां माल, मानव उपभोग के लिए एल्कोहल लिकर, पेट्रोलियम अपरिस्कृत, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरीट (जिसे सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन;

(छ) जहां परिवहन किए जाने वाले माल की आपूर्ति को अधिनियम की अनुसूची 3 के अधीन किसी आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाता है।

(ज) जहां मालों का परिवहन,–

(i) किसी अंतरदेशीय आधान डिपो या किसी आधान माल भाड़ा स्टेशन से सीमा शुल्क बंध पत्र के अधीन किसी सीमा शुल्क पत्तन, विमानपत्तन, वायु कार्गो काम्पलेक्स और भू सीमा–शुल्क स्टेशन को या किसी एक सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क पत्तन से किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क पत्तन को किया जा रहा हैं, या

(ii) सीमा शुल्क पर्यवेक्षण या सीमा शुल्क मुद्रा के अधीन।

(झ) जहां ऐसे माल जिसका परिवहन किया जा रहा हो नेपाल या भूटान से आने वाली या को जाने वाले पारगमन कार्गों है।

(ञ) जहां परिवहन किए जा रहे माल अधिसूचना सं. 7/2017 – केन्द्रीय कर (दर) तारीख 28 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 679(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित तथा समय–समय पर यथासंशोधित और अधिसूचना सं. 26/2017–केन्द्रीय कर, तारीख 21 सितम्बर, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1181 (अ), तारीख 21 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित तथा समय–समय पर यथासंशोधित के अधीन कर से छूट प्राप्त है।

(ट) जहां माल का पारेषण किसी रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन रक्षा संगठन द्वारा, आपूर्तिकर्ता या प्राप्तिकर्ता के रूप में किया जाए।

(ठ) जहां मालों का पारेषक, रेल द्वारा मालों के परिवहन के लिए केन्द्र सरकार, कोई राज्य सरकार, या कोई स्थानीय प्राधिकारी है।

(ड.) जहां खाली कार्गों कंटेनर का परिवहन किया जा रहा है; और

(ढ) जहां मालों का परिवहन, किसी पारेषक के कारबार के स्थान के किसी तोल सेतु तक उसका वजन करने के लिए या किसी तोल सेतु से वापस उक्त पारेषक के कारबार के स्थान तक 20 किलोमीटर तक की दूरी के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जा रहा है कि मालों का संचलन नियम 55 के अनुसार जारी परिदान चालान से सहयुक्त है।

[11][(ण) जहां प्रदाय से भिन्न किन्हीं कारणों से, द्रवित पेट्रोलियम गैस की पैंकिंग के लिए खाली सिलेंडरों को हटाया जाता है।]

स्पष्टीकरण– ई–वे बिल के सृजन, रद्द अद्यतन और सुपुर्दगी की सुविधा को, यथास्थिति, पूर्तिकार, प्राप्तकर्ता और परिवाहक को एसएमएस माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

उपाबंध

[नियम 138(14) देखे]

---

11 अधिसूचना क्रमांक 26/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.06.2018 द्वारा खंड (ण) अंत:स्थापित (प्रभावशील दिनांक 13.06.2018)।

क्र. सं.	माल का विवरण
(1)	(2)
1.	परिवार और गैर–घरेलू छूट वाले प्रवर्ग (एनडीइसी) ग्राहकों के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति
2.	पीडीएस के अधीन बिक्रीत मिट्टी का तेल
3.	डाक विभाग द्वारा परिवहन किए गए डाक सामान
4.	असली या कल्चरी मोती और कीमती या कम मूल्य के रत्न, कीमती धातु और कीमती धातु की परत वाले धातु
5.	आभूषण, स्वर्णकार और रजतकार सामग्री और अन्य वस्तुएं (अध्याय–71) [12]नकली आभूषण (7117) के सिवाय
6.	करेंसी
7.	निजी और घरेलू प्रभाव के उपयोग
8.	प्रवाल, अकर्मित (0508) और कर्मित प्रवाल (9601);

[12] अधिसूचना क्रमांक 26/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)